


# उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, उज्जैन

रतलाम, मंदसौर, नीमच, आगर एवं शाजापुर  
जिलों में साँची घी विक्रय हेतु एक—एक  
सुपर स्टॉकिस्ट (डिस्ट्रीक्ट एजेन्सी)  
नियुक्ति आवेदन प्रपत्र

वर्ष 2019—21



उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, उज्जैन  
मक्सी रोड़ डेयरी प्लांट, उज्जैन—456010  
दूरभाष — 2527061, 2527068, 2527066

मोनो

## उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित

मकसी रोड़, पोस्ट बॉक्स नं.106, उज्जैन-456010 (म.प्र.)

दूरभाष – 0734-2527068, फेक्स नं. 2527063

### रतलाम, मंदसौर, नीमच, आगर एवं शाजापुर जिलों में एक-एक साँची घी सुपर स्टॉकिस्ट (डिस्ट्रीक्ट एजेन्सी) नियुक्ति हेतु सूचना

रतलाम, मंदसौर, नीमच, आगर एवं शाजापुर जिलों में साँची घी के सुव्यवस्थित वितरण एवं विक्रय के लिए एक-एक सुपर स्टॉकिस्ट (डिस्ट्रीक्ट एजेन्सी) नियुक्ति हेतु निर्धारित प्रारूप में आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं। इच्छुक आवेदनकर्ता फर्म/प्रतिष्ठान रूपये 500=00 (पांच सौ मात्र) दिनांक 01/10/2019 से किसी भी कार्य दिवस में वेबसाईट <http://www.mpcdf.gov.in> से डाउनलोड कर आवेदन की मूल्य रूपये 500/- का डी.डी. “उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, उज्जैन” के नाम बनवाकर संलग्न करे। इच्छुक आवेदक रूपये 500/- के नगद भुगतान कर उपरोक्त स्थान से भी कार्यालयीन समय में आवेदन क्रय कर सकते हैं।

पूर्ण रूप से भरे हुए आवेदन दिनांक 21/10/2019 को अपरान्ह 1:00 बजे तक उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, मकसीरोड़ उज्जैन में जमा किये जा सकेंगे। प्रत्येक आवेदन के साथ ई.एम.डी. राशि रूपये 1,00,000=00 का बैंक ड्राफ्ट जो “उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ, मर्यादित, उज्जैन” के नाम देय हो संलग्न करना अनिवार्य होगा। बिना ई.एम.डी आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। आवेदन दिनांक 21/10/2019 को ही अपरान्ह 3:00 बजे उपस्थित आवेदक/प्रतिनिधि के समक्ष समिति द्वारा खोले जाएंगे। किसी भी अथवा समस्त आवेदन को बिना कोई कारण बताये स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी उज्जैन दुग्ध संघ उज्जैन को रहेगा, जो किसी भी न्यायालयीन प्रक्रिया से मुक्त रहेगा।

शेष विस्तृत जानकारी वेबसाईट <http://www.mpcdf.gov.in> पर उपलब्ध है।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी

## आवेदन प्रपत्र का कार्यक्रम प्रपत्रों की जानकारी

|    |   |   |
|----|---|---|
| 1  | आवेदन प्रपत्र विक्रय आरंभ करने की तिथि एवं समय  | दिनांक 01/10/2019 प्रातः 11:00 बजे  |
| 2  | आवेदन प्रपत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि एवं समय  | दिनांक 21/10/2019 दोपहर 12:00 बजे तक  |
| 3  | आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि एवं समय  | दिनांक 21/10/2018 अपराह्न 01:00 बजे तक  |
| 4  | आवेदन खोलने की तिथि एवं समय   | थदनांक 21/08/2018 अपराह्न 3:00 बजे  |
| 5  | आवेदन के साथ जमा की जाने वाली धरोहर राशि  | 1,00,000=00 (एक लाख मात्र) उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, उज्जैन पेयबल एट उज्जैन के नाम से देय हो। |
| 6  | आवेदन प्रपत्र का मुल्य  | रुपये 500/- (पांच सौ मात्र)   |
| 7  | आवेदन खोलने का स्थान एवं पता  | उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, मक्सीरोड़ उज्जैन  |
| 8  | सुपर स्टॉकिस्ट (डिस्ट्रीक्ट एजेन्सी) हेतु तकनीकी अर्हताएं एवं सामान्य शर्तों का प्रारूप | प्रपत्र 01 एवं 02   |
| 9  | सुपर स्टॉकिस्ट (डिस्ट्रीक्ट एजेन्सी) चयन हेतु अंक तालिका                                | प्रपत्र - 03  |
| 10 | आवेदन प्रपत्र   | प्रपत्र - 04  |
| 11 | अनुबंध का प्रारूप   | प्रपत्र - 05  |
| 12 | दर संरचना   | प्रपत्र - 06  |

### आवेदन प्रस्तुत करते समय ध्यान रखा जावे कि :-

- प्रपत्र क्रमांक 01 “तकनीकी अर्हताएं” प्रपत्र क्रमांक 02 “सामान्य शर्त प्रपत्र क्रमांक 4 आवेदन पत्र एवं प्रपत्र क्र. 5 अनुबंध का प्रारूप एक साथ एक “बन्द लिफाफे में प्रस्तुत की जावे, एवं लिफाफे पर ..... जिला हेतु ‘‘साँची धी सुपर स्टॉकिस्ट (डिस्ट्रीक्ट एजेन्सी) हेतु आवेदन’’ लिखा जावे साथ ही लिफाफे पर प्रेषक का नाम पता अंकित किया जावे।
- आवेदन में उल्लेखित शर्तों की अतिरिक्त आवेदनकार की ओर से उल्लेखित कोई भी शर्त मान्य नहीं की जावेगी।
- बिना पूर्ण दस्तावेज एवं ई.एम.डी. राशि के प्रस्तुत किये गये आवेदन मान्य नहीं किये जावेंगे।
- आवेदनकर्ता द्वारा प्रपत्र - 01, 02, 03 एवं 04 के प्रत्येक पेंज पर अपने हस्ताक्षर किये जाने के पश्चात ही आवेदन प्रस्तुत किया जावे।
- आवेदन के साथ प्रपत्र क्रमांक 07 पर साँची धी की वर्तमान दर संरचना संलग्न है। आवेदनकर्ता सभी व्यापारिक एवं पूँजी निवेश का पूर्ण विश्लेषण करने के पश्चात ही आवेदन करें।

### तकनीकी अहर्ताएं

| क्रमांक | आवश्यक अहर्ताएं  | विवरण जानकारी | अनिवार्यतः संलग्न किये जाने वाले स्व प्रमाणित दस्तावेज  |
|---------|--|---------------|---|
| 1.      | आवेदनकर्ता का नाम व पता (संस्था/फर्म आदि की दशा में पंजीयन का प्रमाण)  |               | संस्था पंजीयनकर्ता कार्यालय का पत्र/प्रमाण पत्र।  |
| 2       | यदि कोई पार्टनर हो तो उनका नाम व पता।  |               | पंजीकृत पार्टनरशीप डीड।   |
| 3       | आवेदनकर्ता संस्था/फर्म होने की दशा में मुख्य कार्यपालन अधिकारी/अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम  |               | संस्था /फर्म के संचालक मंडल/ मुख्य कार्यपालन अधिकारी का अधिकार पत्र या आधार कार्ड की छायाप्रति। |
| 4       | आवेदनकर्ता का पेनकार्ड नम्बर होना अनिवार्य है।   |               | पेनकार्ड की छायाप्रति संलग्न करें।  |
| 5       | GST नम्बर होना अनिवार्य है। नया कार्य आरंभ करने की स्थिति में आवेदनकार को GST नम्बर आवेदन की छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य है।  |               | GST नम्बर/आवेदन की छायाप्रति संलग्न   |
| 6       | साँची दुग्ध एवं दुग्ध पदार्थ वितरण उपलब्ध वाहन का प्रकार (नया वाहन खरीदने की स्थिति में तदाशय का शपथ पत्र संलग्न करें। जिसमें मार्ग का नाम उल्लेखित करते हुए निविदा में वांछित क्षमता व मॉडल का इंशुलेटेड वाहन प्रस्तुत किया जाएगा।) |               | उपलब्ध वाहन के पंजीयन/अनुबंध की प्रति लगावें। या शपथ पत्र संलग्न करें।                          |
| 7       | बैंक का नाम एवं खाता क्रमांक   |               | बैंक स्टेटमेन्ट की एक वर्ष की छायाप्रति या निरस्त चैक लगावें।                                   |
| 8       | वित्तीय वर्ष (कर निर्धारण वर्ष 2016–17 एवं 2017–18, 2018–19) आयकर का रिटर्न दाखिल करने का प्रमाण   |               | आयकर विभाग में रिटर्न जमा करने की पावती एवं रिटर्न की कॉपी। (छायाप्रति संलग्न करें)             |
| 9       | FSSAI लायसेन्स होना अनिवार्य होगा।   |               | FSSAI लायसेन्स की छायाप्रति संलग्न करें।  |
| 10      | गुमास्ता होना अनिवार्य होगा  |               | छायाप्रति संलग्न करें।  |
| 11      | निर्धारित टर्नओवर  |               | तीन वर्षों की बेलेंसशीट सीए द्वारा सत्यापित प्रति। संलग्न करें।                                 |

|    |   |  |                         |
|----|---|--|-------------------------|
| 12 | ई.एम.डी.  |  | मूल डी.डी. संलग्न करें। |
| 13 | आवेदन पत्र के मूल्य का डी.डी.<br>(यदि आवेदन वेबसाईट से डाउनलोड किया गया है तो)  |  | मूल डी.डी. संलग्न करें। |
| 14 | आवेदनकर्ता एमपीसीडीएफ /अन्य दुर्घ संघ से टर्मिनेट अथवा ब्लेक लिस्ट नहीं है। (इस बाबत का शपथ पत्र)   |  | शपथ पत्र संलग्न करें।   |
| 15 | आवेदनकर्ता दुर्घ संघ के कोई भी अधिकारी / कर्मचारी, माननीय अध्यक्ष, एवं संचालक मण्डल के सदस्य स्वयं अथवा उनके रिश्तेदार नहीं हैं। (इस बाबत शपथ पत्र) |  | शपथ पत्र संलग्न करें।   |

नोट:-

- उक्त दस्तावेजों (जिनकी छायाप्रतियां मांगी गई हैं) की स्वयं के द्वारा प्रमाणित छायाप्रतियां संलग्न करना अनिवार्य है, तथा आवेदन स्वीकृति होने पर मूल दस्तावेजों से सत्यापित कराना अनिवार्य है।
- आवेदनकर्ता की पूर्ण आवेदन प्रपत्र के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर कर सम्पूर्ण आवेदन प्रपत्र मूल रूप से जमा करना होगा।
- उपरोक्त जानकारियों में से कोई भी जानकारी चयन प्रक्रिया के दौरान / कार्य अवंटन के पश्चात / अनुबंध के पश्चात भविष्य में अनुबंधित अवधि में कभी भी असत्य पाये जाने पर साँची धी सुपर स्टॉकिस्ट (डिस्ट्रीक्ट एजेन्सी) एजेंसी को निरस्त कर उज्जैन दुर्घ संघ द्वारा मेरी सम्पूर्ण अमानत राशि राजसात की जा सकेगी जा मुझे मान्य है तथा ऐसा होने पर मेरे द्वारा कोई भी न्यायीक अथवा अन्य कार्यवाही नहीं की जाएगी।

हस्ताक्षर .....

नाम-----

पता-----

-----

-----

दूरभाष नम्बर -----

मोबाइल नम्बर -----

सॉची घी सुपर स्टॉकिस्ट (डिस्ट्रीकट एजेन्सी) आवेदन हेतु  
आवश्यक शर्तें

1. आवेदनकर्ता को आवेदन के साथ स्व प्रमाणित (हस्ताक्षर कर) पासपोर्ट साईज फोटो लगाना अनिवार्य है। आवेदक का घी विक्रय का वर्तमान कार्यक्षेत्र उज्जैन जिला होना अनिवार्य है। उज्जैन जिले के बाहर कार्यरत आवदकों के आवेदन स्वीकार नहीं किये जाएँगे।
2. आवेदनकर्ता को आवेदन के साथ रूपये 1,00,000/- (अक्षरी रु. एक लाख मात्र) डी.डी.आर्नेस्टमनी के रूप में जमा करना अनिवार्य होगा। आर्नेस्टमनी जमा न करने की स्थिति में आवेदन पर विचार नहीं किया जावेगा, तथा ऐसे आवेदन स्वतः निरस्त माने जावेंगे।
3. सुपर स्टॉकिस्ट (डिस्ट्रीकट एजेन्सी) को दुग्ध संघ में आवेदन स्वीकृति सूचना उपरांत निम्नानुसार प्रतिभूति / अमानत जमा करना होगी, जिस पर कोई ब्याज देय नहीं होगा।

| राशि रूपये लाख में।       |       |        |      |     |         |
|---------------------------|-------|--------|------|-----|---------|
| जमा प्रकार                | रतलाम | मंदसौर | नीमच | आगर | शाजापुर |
| डी.डी. जमा                | 10    | 5      | 2    | 2   | 5       |
| 2.5 वर्ष की बैंक ग्यारंटी | 40    | 20     | 8    | 8   | 15      |
| कुल                       | 50    | 25     | 10   | 10  | 20      |

4. सुपर स्टॉकिस्ट (डिस्ट्रीकट एजेन्सी) के पास FMCG वस्तुओं का पूर्व वितरण अनुभव एवं विगत तीन वर्षों में निम्नानुसार कुल वार्षिक टर्न ओवर होना आवश्यक होगा। टर्न ओवर को सत्यापित करने हेतु चार्टेट अकाउंटेन्ट द्वारा हस्ताक्षरित एवं सील लगी बेलेंसशीट संलग्न करना होगी।

जिला वार निर्धारित टर्न ओवर :-

| जिला   | रतलाम | मंदसौर | नीमच | शाजापुर | आगर |
|--|-------|--------|------|---------|-----|
| विगत तीन वर्षों में आवश्यक कुल न्यूनतम टर्न ओवर रूपये करोड़ में। | 25    | 10     | 5    | 5       | 2   |

5. सुपर स्टॉकिस्ट (डिस्ट्रीकट एजेन्सी) को सॉची घी के व्यवस्थित भंडारण एवं गोडाउन की व्यवस्था करना होगी साथ ही वितरण कार्य में लगाये जाने वाले कम से कम तीन-चार वाहन की व्यवस्था भी करनी होगी। इस संबंध में आवश्यक दस्तावेज जैसे किराया अनुबंध या रजिस्ट्री आदि तथा वाहन रजिस्ट्रेशन भी जमा करवाने होंगे।

6. सुपर स्टॉकिस्ट (डिस्ट्रीकट एजेन्सी) को अपनी मांग कम से कम दो दिवस पूर्व दुग्ध संघ को लिखित में देना होगी, किन्तु दुग्ध संघ द्वारा उपलब्धता अनुसार मांग की पूर्ति की जा सकेगी। मांग अनुसार धी का प्रदाय दिन में एक ही बार संयंत्र वितरण डॉक से किया जावेगा।

7. सुपर स्टॉकिस्ट (डिस्ट्रीकट एजेन्सी) को चयन उपरांत अग्रिम राशि जमा कर सॉची धी अपने परिवहन व्यवस्था एवं व्यय से निम्न विवरण अनुसार जिलों के दुग्ध संयंत्र एवं दुग्ध शीतकेन्द्रों से उठाने होंगे :—

| जिलेवार सॉची धी उठाने का स्थान  |             |
|---------------------------------|-------------|
| दुग्ध संयंत्र/शीतकेन्द्र का नाम | जिले का नाम |
| रतलाम                           | रतलाम       |
| मंदसौर                          | मंदसौर/नीमच |
| आगर                             | आगर         |
| शाजापुर                         | शाजापुर     |

8. दुग्ध संघ की निर्धारित नीति अनुसार प्रदाय होने वाले धी की राशि का भुगतान दुग्ध संघ को निर्धारित समय में प्राप्त हो सके, इस हेतु राशि की व्यवस्था सुपर स्टॉकिस्ट (डिस्ट्रीकट एजेन्सी) को अपने खाते में सुनिश्चित करना होगी।

9. सुपर स्टॉकिस्ट (डिस्ट्रीकट एजेन्सी) को सॉची धी प्राप्त करते समय उसकी जॉच परख हर दृष्टि से सुनिश्चित कर लेना होगा। प्रदाय होने वाले पश्चात किसी भी प्रकार की टूट-फूट अथवा गुणवत्ता की जिम्मेदारी सुपर स्टॉकिस्ट (डिस्ट्रीकट एजेन्सी) की रहेगी।

10. सुपर स्टॉकिस्ट (डिस्ट्रीकट एजेन्सी) को दुग्ध संघ की निर्धारित शर्तों के अनुसार रूपये 1000/- के नॉन ज्यूडिशियल स्टॉम्प पेपर पर अनुबंध संपादित करना होगा। साथ ही सुपर स्टॉकिस्ट (डिस्ट्रीकट एजेन्सी) को दो वर्ष के लिए नियुक्ति किया जावेगा, तत्पश्चात कार्य, वित्तीय व्यवहार, लक्ष्य पूर्ति, बाजार में व्यवसायिक साख इत्यादि बिन्दुओं की समीक्षा रिपोर्ट संतोष जनक होने पर इसमें प्रबंधन के निर्णय अनुसार एक-एक वर्ष की तीन वर्ष तक वृद्धि की जा सकेगी।

11. दुग्ध संघ से सीधे धी प्राप्त कर विक्रय करने वाले वितरकों/विक्रेताओं/उपभोक्ताओं को प्रदाय का अधिकार दुग्ध संघ के पास सुरक्षित रहेगा।

12. दुग्ध संघ से क्रय की गई धी की मात्रा की राशि RTGS के माध्यम से दुग्ध संघ के खाते में जमा करवानी होगी। सुपर स्टॉकिस्ट (डिस्ट्रीकट एजेन्सी) द्वारा दुग्ध संघ में जमा प्रतिभूति राशि की अधिकतम 80% राशि का ही धी प्रदाय किया जावेगा।

13. सुपर स्टॉकिस्ट (डिस्ट्रीकट एजेन्सी) को सम्पूर्ण जिला में निर्देश अनुसार नेटवर्क स्थापित कर लक्ष्य अनुसार विक्रय स्थापित करना आवश्यक होगा।

14. सुपर स्टॉकिस्ट (डिस्ट्रीकट एजेन्सी) को जो भी लक्ष्य दिये जाते हैं उनको प्राप्त करना होगा, लक्ष्य प्राप्ति के अभाव में जो भी राशि मार्जिन के रूप में सुपर स्टॉकिस्ट (डिस्ट्रीकट एजेन्सी) को दी जावगी, उसकी 50% राशि दुग्ध संघ द्वारा सुपरस्टॉकिस्ट की जमा अमानत राशि जप्त कर सुपर स्टॉकिस्ट (डिस्ट्रीकट एजेन्सी) की एजेंसी निरस्त करने का अधिकार संघ के पास सुरक्षित रहेगा।
15. नेटवर्क स्थापित करने हेतु सुपर स्टॉकिस्ट (डिस्ट्रीकट एजेन्सी) को कम से कम 4 विक्रय प्रतिनिधि स्वयं के व्यय पर सम्पूर्ण जिले हेतु रखना होगा एवं आवश्यकता अनुसार वृद्धि करना होगी।
16. सुपर स्टॉकिस्ट (डिस्ट्रीकट एजेन्सी) विज्ञापन एवं ब्राण्ड प्रमोशन में पूर्ण सहभागिता देगा एवं आवश्यकता अनुसार प्रचार प्रसार हेतु फंड भी उपलब्ध करवायेगा।
17. किसी भी आवेदन को बिना कारण बताये निरस्त/स्वीकृत करने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी को होगा।
18. प्राप्त आवेदनों की समीक्षा गठित समिति के द्वारा की जावेगी एवं समिति अपनी अनुशंसा मुख्य कार्यपालन अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करेगी। मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम एवं बंधनकारी होगा।
19. आवेदन स्वीकृति होने के बाद किसी भी कारणवश कार्य नहीं करने पर आवेदनकर्ता की आर्नेस्टमनी राजसात करने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा लिया जा सकेगा।
20. प्राप्त आवेदकों में से सुपर स्टॉकिस्ट (डिस्ट्रीकट एजेन्सी) का चयन आवेदन फॉर्म में संलग्न विभिन्न पैरामीटर के लिए अधिकतम अंकों में से प्राप्त अंकों के आधार पर किया जाएगा। जिस आवेदक के अधिकतम अंक होंगे उसे सुपर स्टॉकिस्ट (डिस्ट्रीकट एजेन्सी) हेतु चयनित किया जाएगा। यदि दो या दो से अधिक आवेदकों एक समान अंक प्राप्त होते हैं तो सुपर स्टॉकिस्ट (डिस्ट्रीकट एजेन्सी) का चयन समिति सदस्यों एवं उपस्थित आवेदकों के समक्ष लॉट्री द्वारा किया जाएगा।
21. आवेदन स्वीकृति होने के बाद किसी भी कारणवश कार्य नहीं करने पर आवेदनकर्ता की आर्नेस्टमनी राजसात कर भविष्य के लिए काली सूची में दर्ज किया जाएगा।
22. वर्तमान में दुग्ध संघ के साथ कार्य कर रहे किसी भी वितरक/वितरक सह-परिवहनकर्ता/सुपर स्टॉकिस्ट (डिस्ट्रीकट एजेन्सी) अथवा अन्य द्वारा इस प्रक्रिया में भाग लिया जाता है तो आवेदन स्वीकृत होने के एक सप्ताह के अन्दर वर्तमान अनुबंध से संबंधित लेनदारी—देनदारी का पूर्ण हिसाब कर बकाया धनराशि एवं क्रेट दुग्ध संघ में

जमा कराने होंगे अन्यथा आवेदन स्वतः निरस्त होकर ई.एम.डी राशि राजसात हो जावेगी तथा भविष्य के लिए ऐसी पार्टी को ब्लैक लिस्ट किया जावेगा।

23. वर्तमान में जिस व्यक्ति/फर्म के विरुद्ध दुग्ध संघ का न्यायीक प्रकरण न्यायालय में चल रहा है, ऐसे व्यक्ति/फर्म आवेदन के पात्र नहीं होंगे।
24. दुग्ध संघ के कोई भी अधिकारी/कर्मचारी, माननीय अध्यक्ष, एवं संचालक मण्डल के सदस्य स्वयं अथवा उनके रिश्तेदार आवेदन प्रक्रिया में भाग लेने के पात्र नहीं होंगे, इस बाबत आवेदनकर्ता को रु. 100 के नॉन ज्यूडिशियल स्टॉम्प पर शपथ पत्र आवेदन के साथ प्रस्तुत करना होगा। (प्रारूप संलग्न है)
25. आवेदक को आवेदन के साथ रु. 100 के नॉन ज्यूडिशियल स्टॉम्प पर इस आशय का शपथ पत्र संलग्न करना होगा कि एमपीसीडीएफ भोपाल अथवा सम्बद्ध किसी भी दुग्ध संघ द्वारा आवेदक को किसी भी प्रकार की अनियमितता के कारण टर्मिनेट अथवा ब्लैक लिस्ट नहीं किया गया हो।

मेरे द्वारा साँची धी सुपर स्टॉकिस्ट (डिस्ट्रीक्ट एजेन्सी) हेतु आवेदन की समस्त शर्तें एवं अनुबंध की शर्तें पढ़ व समझ ली है तथा मैं/हम सभी शर्तों को मानने के लिए सहज तैयार हूँ/है। आवेदन में दी गई जानकारी पूर्णतः सत्य है। यदि मेरे द्वारा आवेदन में प्रस्तुत जानकारी कभी भी असत्य प्रमाणित होती है या मैं बिन्दु क्रमांक 01 से 24 तक वर्णित शर्तों को पालन नहीं करता हूँ, तो मेरा आवेदन/अनुबंध निरस्त कर मेरी अर्नेस्टमनी/प्रतिभूति राशि राजसात करने का प्रबंधन द्वारा निर्णय लिया जाता है तो मैं इस हेतु अपनी सहमति देता हूँ।

हस्ताक्षर

आवेदक का नाम एवं पता

साँची घी सुपर स्टॉकिस्ट (डिस्ट्रीक्ट एजेन्सी) हेतु अंक तालिका  
(..... जिला हेतु)

1. रतलाम, मंदसौर, नीमच, आगर एवं शाजापुर जिलों के लिए साँची घी सुपर स्टॉकिस्ट (डिस्ट्रीक्ट एजेन्सी) की नियुक्ति के लिए निम्नानुसार अंक तालिका निर्धारित की गई है।





| क्र.    | विवरण  | अंक पद्धति   | अधिकतम अंक                           | प्राप्त अंक |
|---------|--|--|--------------------------------------|-------------|
| 1       | ..... जिले में घी विक्रय का अनुभव  | प्रत्येक वर्ष के 2 अंक निर्धारित   | 10                                   |             |
| 2       | टर्न ओवर   | विगत 03 वर्षों के कुल न्यूनतम टर्न ओवर निम्नानुसार रु. :-<br>रतलाम – 25 करोड़<br>मंदसौर – 10 करोड़<br>नीमच – 5 करोड़<br>शाजापुर – 5 करोड़<br>आगर – 2 करोड़<br>पर 20 अंक उसके ऊपर प्रत्येक 10 करोड़ पर 2 अंक दिये जाएंगे। | 35                                   |             |
| 3       | घी वितरण हेतु उपलब्ध वाहनों की संख्या  | प्रतिवाहन 3 अंक  | 15                                   |             |
| 4       | वर्तमान में वार्षिक आधार पर घी विक्रय मात्रा।  | विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष में कुल 500 मैटन घी विक्रय पर 4 अंक।   | 14                                   |             |
| 5       | यदि आवेदक वर्तमान में उज्जैन दुग्ध संघ के साथ कार्यरत है तो वर्तमान कार्य मूल्यांकन एवं व्यवहार। |  | 10                                   |             |
| 6       | तकनीकी अर्हता के दस्तावेज  | फर्म का पंजीयन – 2 अंक<br>पेन कार्ड – 2 अंक<br>जीएसटी – 2 अंक<br>बैंक का विवरण – 2 अंक<br>FSSAI – 2 अंक<br>EMD – 2 अंक<br>ITR – 2 अंक<br>गुमास्ता – 2 अंक  | 2<br>2<br>2<br>2<br>2<br>2<br>2<br>2 |             |
| कुल अंक |  |  | 100                                  |             |

नोट :— यदि दो या दो से अधिक आवेदकों एक समान अंक प्राप्त होते हैं तो सुपर स्टॉकिस्ट (डिस्ट्रीक्ट एजेन्सी) का चयन समिति सदस्यों एवं उपस्थित आवेदकों के समक्ष लॉट्री द्वारा किया जाएगा।

हस्ताक्षर  
आवेदक का नाम एवं हस्ताक्षर

रतलाम, मंदसौर, नीमच, आगर एवं शाजापुर जिलों में  
साँची धी सुपर स्टॉकिस्ट (डिस्ट्रीकट एजेन्सी) हेतु  
आवेदन प्रपत्र

पासपोर्ट  
साईज फोटो  
(स्व प्रमाणित)

1. आवेदनकर्ता का नाम — .....  

2. पिता/पति का नाम — .....  

3. रस्थाई पता (प्रमाण सहित)  
दूरभाष नं. / मोबाइल नं. — .....  

4. E-mail id \_\_\_\_\_
5. शैक्षणिक योग्यता — .....  

6. आवेदक/फर्म का नाम / यदि  
फर्म पार्टनरशिप है तो पार्टनरशिप  
फर्म की पूर्ण जानकारी  
(दस्तावेजों की छायाप्रति सहित) देना अनिवार्य है। — .....  

7. वर्तमान व्यवसाय — .....  

8. वर्तमान व्यवसाय का टर्न ओवर  
(टर्न ओवर का प्रमाण पत्र संलग्न करें) — .....  

9. वित्तीय स्थिति (बैंक खाता नं.)  
(अ) चल अचल संम्पत्ति का ब्योरा — .....  
(ब) बैंक व वित्तीय संस्थाओं में  
जमा राशि  
(गत तीन वर्ष का आयकर विवरण संलग्न करें) — .....  


10. सुपर स्टॉकिर्स्ट (डिस्ट्रीब्यूट एजेन्सी) — .....  
हेतु आवश्यक पूँजी की व्यवस्था — .....
11. जी.एस.टी. नम्बर — .....
12. वाहन की व्यवस्था (स्वयं का अथवा  
अनुबंधित वाहन होना आवश्यक)  
वाहन के पंजीयन/अनुबंध की  
छायाप्रति संलग्न करें। — .....
13. भण्डारण हेतु  
वर्तमान क्षमता/व्यवस्था — .....
14. धरोहर/ई.एम.डी. राशि  
डी.डी./एम.आर.नं — .....

दिनांक

प्रारूप 01 के साथ संलग्न हैं।

दिनांक

हस्ताक्षर

आवेदनकर्ता के हस्ताक्षर का नाम एवं पूर्ण पता

.....  
.....  
.....

### अनुबंध पत्र

यह अनुबंध मुख्य कार्यपालन अधिकारी, उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, उज्जैन (जिन्हें आगे प्रथम पक्ष के नाम से संबोधित किया गया है ) एवं ..... (जिन्हें आगे द्वितीय पक्ष के नाम से संबोधित किया गया है ) के मध्य निम्नलिखित शर्तों पर साँची धी सुपर स्टॉकिस्ट (डिस्ट्रीक्ट एजेन्सी) कार्य हेतु निष्पादित किया जाता है :-

1. यह कि प्रथम पक्ष द्वारा द्वितीय पक्ष को केवल साँची धी वितरण /विक्रय हेतु सम्पूर्ण..... जिला के लिए पूर्णतः अस्थायी रूप से दो वर्ष की अवधि हेतु सुपर स्टॉकिस्ट (डिस्ट्रीक्ट एजेन्सी) नियुक्त किया जाता है। जिसे लक्ष्य पूर्ति वित्तीय व्यवहार एवं कार्य रिपोर्ट संतोषप्रद होने पर आपसी सहमति से आगामी एक-एक वर्ष के लिए तीन वर्षों तक बढ़ाया जा सकेगा।
2. यह कि वर्तमान में द्वितीय पक्ष द्वारा संघ में कुल प्रतिभूति राशि रु..... जिसमें नगद रूपये..... एवं रूपये ..... की बैंक ग्यारंटी जमा की गई हैं, नगद जमा की गई प्रतिभूति राशि पर संघ द्वारा कोई ब्याज देय नहीं होगा। इसके अतिरिक्त (विक्रय वृद्धि की समीक्षा पश्चात) यदि प्रथम पक्ष द्वारा भविष्य में प्रतिभूति राशि में वृद्धि हेतु निर्देशित किया जाता है, तो द्वितीय पक्ष को वांछित प्रतिभूति राशि जमा करवाना अनिवार्य होगा, अन्यथा कार्य समाप्त कर दिया जाएगा।
3. यह कि प्रथम पक्ष/दुग्ध संघ द्वारा द्वितीय पक्ष/सुपर स्टॉकिस्ट (डिस्ट्रीक्ट एजेन्सी) को उनकी जमा प्रतिभूति राशि का अधिकतम 80% राशि का धी प्रदाय किया जा सकेगा, जो द्वितीय पक्ष/सुपर स्टॉकिस्ट (डिस्ट्रीक्ट एजेन्सी) को मान्य होगा।
4. मांग एवं संघ में उपलब्धता अनुसार साँची धी का प्रदाय उनके प्रचलित वजन/पैकिंग अनुसार प्रदाय किया जावेगा, जिसे द्वितीय पक्ष/सुपर स्टॉकिस्ट (डिस्ट्रीक्ट एजेन्सी) उसी ईकाई/केस/कर्टन (साँची धी 01 लीटर, 1/2 लीटर, 1/5 लीटर एवं 05 लीटर व 15 कि. ग्रा. जार के पैक में) प्रदाय करेंगे एवं राशि वसूल करेंगे। किसी भी स्थिति में खुल्ला साँची धी का प्रदाय नहीं कर सकेंगे। साथ ही संयंत्र डाक से प्रातः 8:00 बजे से अपराह्न 3:30 बजे के मध्य दिन में एक बार धी प्रदाय किया जावेगा।
5. यह कि प्रथम पक्ष यदि यह महसूस करें कि द्वितीय पक्ष साँची की विक्रय का वितरण समान रूप से वितरक/विक्रेताओं की मांग एवं समय पर प्रदायगी नहीं कर पा रहा है तो ऐसी स्थिति में प्रथम पक्ष तत्काल में अपने साधन से धी की आपूर्ति करेंगे, एवं इस बात की तस्दीक करेंगे कि द्वितीय पक्ष/सुपर स्टॉकिस्ट (डिस्ट्रीक्ट एजेन्सी) द्वारा वितरकों की मांग पूर्ति किन कारणों से नहीं की जा रही है, यदि जानबूझकर लापरवाही की जा रही है ता उसी दिन से प्रथम पक्ष द्वितीय पक्ष की सुपर स्टॉकिस्ट (डिस्ट्रीक्ट एजेन्सी) एजेन्सी समाप्त करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

6. यह कि प्रथम पक्ष दुग्ध संघ द्वारा द्वितीय पक्ष को धी के विक्रय वृद्धि हेतु विक्रय लक्ष्य दिये जावेंगे, जिनकी पूर्ति करना अनिवार्य होगा। वर्तमान में विक्रय लक्ष्य कार्य आदेश में उल्लेखित किये गये हैं।
7. यह कि प्रथम पक्ष दुग्ध संघ द्वारा द्वितीय पक्ष सुपर स्टॉकिस्ट (डिस्ट्रीकट एजेन्सी) को जो भी लक्ष्य दिये जाते हैं, को प्राप्त करना होगा। लक्ष्य प्राप्ति के आभाव में जो भी राशि मार्जिन के रूप में सुपर स्टॉकिस्ट (डिस्ट्रीकट एजेन्सी) को दी जावेग, उसकी 50 प्रतिशत राशि संघ सुपर स्टॉकिस्ट (डिस्ट्रीकट एजेन्सी) की जमा अमानत राशि जप्त कर सुपर स्टॉकिस्ट (डिस्ट्रीकट एजेन्सी) की एजेन्सी निरस्त करने का अधिकार संघ के पास सुरक्षित रहेगा।
8. यह कि प्रथम पक्ष को यह अधिकार रहेगा कि वह द्वितीय पक्ष सुपर स्टॉकिस्ट (डिस्ट्रीकट एजेन्सी) के द्वारा विक्रय की जा रही मात्रा की समीक्षा छः माह अथवा एक वर्ष में कभी भी कर सकेगा, तथा उसी अनुसार वितरक एजेंसी आगे ओर बढ़ायी जाना है, अथवा नहीं का निर्णय लिया जा सकेगा, जिसमें मूलतः विक्रय मात्रा वृद्धि एवं वित्तीय व्यवहार प्रमुख रहेंगे। जिसमें द्वितीय पक्ष का कोई भी दबाव अथवा अन्य कारण मान्य नहीं रहेगा।
9. यह कि द्वितीय पक्ष/सुपर स्टॉकिस्ट (डिस्ट्रीकट एजेन्सी) द्वारा सॉची धी की वांछित मात्रा की मांग कम से कम 48 घण्टे पूर्व नियत समय अवधि तक अग्रिम लिखित प्रस्तुत करना होगी एवं उसी अनुसार माल उठाया जाना होगा, एक बार मांग दिये जाने पर उसमें किसी भी प्रकार की काट-छांट या पैकिंग मात्रा में संशोधन नहीं किया जावेगा।
10. यह कि द्वितीय पक्ष/सुपर स्टॉकिस्ट (डिस्ट्रीकट एजेन्सी) द्वारा प्रथम पक्ष/संघ से उठायी गई सॉची धी मात्रा का लेखा-जोखा हर तरह से द्वितीय पक्ष रखेंगे, एवं प्रथम पक्ष/संघ द्वारा मांग किये जाने पर मय डी.एम एवं गेटपास की प्रति सहित प्रस्तुत करेंगे।
11. यह कि द्वितीय पक्ष/सुपर स्टॉकिस्ट (डिस्ट्रीकट एजेन्सी) धी प्राप्त करते समय हर तरह से (पैकिंग, गुणवत्ता, पैकिंग तारीख, लीकेज इत्यादि) संतुष्ट होने पर ही प्राप्त करेंगे, संयंत्र से माल आपको अथवा अधिकृत प्रतिनिधि के सुपुर्दग्गी पश्चात किसी भी प्रकार शिकायत को मान्य नहीं किया जावेगा।
12. यह कि यदि स्थानीय क्षेत्रिय निकाय द्वारा किसी प्रकार का कर अथवा उपकर विक्रित होने वाले सॉची धी पर लगाया जाता है, तो उसका वहन द्वितीय पक्ष स्वयं करेगा, प्रथम पक्ष उसमें किसी भी प्रकार का सहयोग नहीं देगा।
13. यह कि द्वितीय पक्ष को आयकर पेन क्रमांक एवं विक्रय कर संबंधी किन्हीं भी प्रपत्रों की आवश्यकता हेतु कार्यालय में उक्त दोनों दस्तावेजों की छायाप्रति देना होगा। इसके अभाव में यदि प्रथम पक्ष/दुग्ध संघ को किसी भी प्रकार की वैद्यानिक कार्यवाही अथवा आर्थिक शास्ती सरकार या अन्य किसी संस्था द्वारा की जाती है तो उसकी भरपायी द्वितीय पक्ष की जमा प्रतिभूति राशि से की जावेगी।

14. यह कि खाद्य अपमिश्रण अधिनियम के तहत किसी भी शासकीय, अर्द्धशासकीय संस्था के अधिकारियों द्वारा यदि संघ द्वारा निर्मित घी के सेम्पल की मांग की जाती है तो द्वितीय पक्ष/सुपर स्टॉकिस्ट (डिस्ट्रीकट एजेन्सी) उन्हें सील बंद ईकाई (घी) देवेंगे, किसी भी स्थिति में खुल्ला घी नहीं देंगे, अन्यथा प्रथम पक्ष किसी तरह से जिम्मेदार नहीं होगा। साथ ही सेम्पल होने की सूचना तत्काल समय दूरभाष पर एवं पश्चात दस्तावेजी प्रतियां भी कार्यालय में 24 घंटे की समय अवधि में देना अनिवार्य होगी।
15. यह कि द्वितीय पक्ष/सुपर स्टॉकिस्ट (डिस्ट्रीकट एजेन्सी) द्वारा घी का वितरण परिवहन का कार्य स्वयं के परिवहन साधन एवं व्यय से करना होगा, इस हेतु पृथक से किसी प्रकार का भुगतान प्रथम पक्ष/दुग्ध संघ द्वारा नहीं दिया जावेगा। द्वितीय पक्ष अन्य दुग्ध संघों के कार्यक्षेत्र में प्रत्यक्ष/परोक्ष रूप से सॉची घी प्रदाय नहीं कर सकेगा।
16. यह कि द्वितीय पक्ष “सॉची घी” के वितरण/विक्रय हेतु अधिकृत सुपर स्टॉकिस्ट (डिस्ट्रीकट एजेन्सी) वितरक नियुक्त है, अतः छोटे-छोटे व्यापारियों/वितरक/विक्रेताओं से मधुर व्यवसायी संबंध बनाकर रखना होगा, जिससे सॉची ब्राण्ड घी के विक्रय में अप्रत्यक्ष रूप से उन्हें एवं प्रथम पक्ष का माल विक्रय में सहायता मिलती रहे।
17. यह कि उक्त अनुबंध प्रथम पक्ष अथवा द्वितीय पक्ष द्वारा एक माह का अग्रिम नोटिस देकर समाप्त किया जा सकेगा। जिसमें दोनों पक्षों में लेखा मिलान संतोषप्रद होना आवश्यक रहेगा। अन्यथा प्रथम पक्ष/दुग्ध संघ द्वारा वैधानिक कार्यवाही की जाती है तो उसका हर्जा-खर्चा द्वितीय पक्ष/सुपर स्टॉकिस्ट (डिस्ट्रीकट एजेन्सी) से वसूल करने हेतु अधिकार प्रथम पक्ष सुरक्षित रखता है।
18. यह कि उक्त अनुबंध दोनों पक्षों के वारिसों पर भी समान रूप से प्रभावशील रहेगा।
19. यह कि उपरोक्त शर्तों में व्यवहारिक आवश्यकतानुसार परिवर्तन का अधिकार प्रथम पक्ष को होगा।
20. यह कि किसी भी विवाद की स्थिति में अध्यक्ष उज्जैन सहकारी दुग्ध सहकारी मर्यादित, उज्जैन का निर्णय अंतिम एवं दोनों पक्षों को मान्य होगा।
21. यह कि किसी भी न्यायिक विवाद की स्थिति में न्याय क्षेत्र सहकारी न्यायालय उज्जैन होगा।
22. सुपर स्टॉकिस्ट (डिस्ट्रीकट एजेन्सी) द्वारा कार्यक्षेत्र में स्थित वितरकों आदि को प्रदायित घी की राशि स्वयं वसूलना होगी, इसके लिए दुग्ध संघ जिम्मेदार नहीं होगा।
23. कार्यक्षेत्र में स्थित डिपार्टमेन्टल स्टोर या माल आदि में घी की प्रदायगी सुपर स्टॉकिस्ट (डिस्ट्रीकट एजेन्सी) द्वारा की जाएगी। परन्तु यदि ऐसा पाया जाता है कि इन स्टोर/माल में

सुपर स्टॉकिस्ट (डिस्ट्रीब्यूट एजेन्सी) द्वारा प्रदायगी नहीं की जा रही या स्टोर सीधे दुग्ध संघ से सीधे क्रय करना चाहते हैं तो दुग्ध संघ किसी भी दर पर सीधे प्रदाय हेतु स्वतंत्र होगा।

उपरोक्त शर्तों पर दोनों पक्षों की सहमती से यह अनुबंध बिना किसी दबाव एवं पूर्ण होंश-हवांस में उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, उज्जैन के कार्यालय में निम्न गवाहों के समक्ष निष्पादित किया गया जो दोनों पक्षों को मान्य है।

|  |   |
|--|---|
| <p>हस्ताक्षर (प्रथम पक्ष)<br/>मुख्य कार्यपालन अधिकारी<br/>उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ<br/>मर्या. मकसी रोड, उज्जैन –<br/>456010</p> | <p>हस्ताक्षर (द्वितीय पक्ष)<br/>सुपर स्टॉकिस्ट (घी)</p> <p>नाम.....</p> <p>पता .....</p> <p>.....</p> |
|--|---|

हस्ताक्षर साक्ष्य – 1  
नाम : .....  
पता:.....

हस्ताक्षर साक्ष्य –2  
नाम : .....  
पता:.....

हस्ताक्षर साक्ष्य – 1  
नाम : .....  
पता: .....

हस्ताक्षर साक्ष्य –2  
नाम : .....  
पता: .....

**प्रपत्र क्रमांक – 06**  
(कमीशन दर संरचना प्रारूप)

| सुपरस्टाकिस्ट दर                         |                 |                   |          |           |             |
|--|-----------------|-------------------|----------|-----------|-------------|
| उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, उज्जैन |                 |                   |          |           |             |
| साँची घी की वर्तमान दर संरचना            |                 |                   |          |           |             |
| साँची घी –                               |                 |                   |          |           |             |
| विवरण                                    | पैकिंग          | सुपर स्टाकिस्ट दर | वितरक दर | रिटेलर दर | उपभोक्ता दर |
| साँची घी                                 | 100 एमएल        | 46.50             | 47.25    | 48.75     | 53.00       |
|  | 200 एमएल        | 86.76             | 88.30    | 91.50     | 100.00      |
|  | 500 एमएल        | 217.45            | 220.55   | 226.90    | 245.00      |
|  | 1 लीटर          | 426.00            | 432.50   | 445.50    | 480.00      |
|  | 5 लीटर जार      | 2177.50           | 2204.00  | 2240.01   | 2375.00     |
|  | 15 कि.ग्रा. जार | 6467.00           | 6529.01  | 6625.00   | 7500.00     |
| गाय का घी                                | 1 लीटर          | 445.00            | 460.00   | 490.00    | 550.00      |

समय—समय पर उक्त दरें परिवर्तनशील रहेगी।



दुर्घ संघ के अध्यक्ष/संचालक/कर्मचारी से कोई संबंध नहीं होने का  
शपथ पत्र का प्रारूप  
(रु. 100 के नॉन ज्यूडिशियल स्टॉम्प पर)

नाम .....  
पिता .....  
आयु .....  
निवासी .....

उज्जैन दुर्घ संघ द्वारा उज्जैन शहर में दुर्घ पदार्थ वितरक की नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किये गये है। मेरे द्वारा मार्ग क्रमांक ..... के लिए आवेदन प्रस्तुत किया गया है। तत्संबंध में मैं शपथ पूर्वक सत्य कथन करता/करती हूँ कि मैं उज्जैन दुर्घ संघ के माननीय अध्यक्ष महोदय, किसी भी संचालक महोदय, दुर्घ संघ के किसी भी अधिकारी अथवा कर्मचारी से मेरी कोई रिश्तेदारी या पारिवारिक संबंध नहीं है।

इति दिनांक ..... उज्जैन हस्ताक्षर शपथग्राहिता .....

### सत्यापन

मैं शपथग्रहिता शपथ पूर्वक सत्य कथन करता हूँ कि उपरोक्त शपथ पत्र की पद संख्या 01 में वर्णित संपूर्ण कथन मेरे निजी ज्ञान के अधार पर सत्य एवं सही है। इससे कुछ भी छिपाया नहीं गया है।

इति दिनांक ..... उज्जैन हस्ताक्षर शपथग्राहिता .....

नवीन वाहन उपलब्ध करने संबंधी शपथ पत्र का प्रारूप।  
(रु. 100 के नॉन ज्यूडिशियल स्टॉम्प पर)

नाम —  
पिता —  
आयु —  
निवासी —

1— मैं शपथग्रहिता शपथ पूर्वक सत्य कथन करता हूँ कि मेरे द्वारा उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, उज्जैन द्वारा उज्जैन शहर में दुग्ध पदार्थ वितरक कार्य हेतु (मार्ग क्रमांक ..... ) आवेदन किया गया है, यदि उक्त आवेदन स्वीकृत होता है तो मैं आवेदन पत्र में उल्लेखित शर्तों के अनुसार नवीन इंसुलेटेड वाहन सूचना प्राप्ति के एक माह के अन्दर लगाने हेतु वचनबद्ध हूँ अन्यथा मेरा ओवदन अस्वीकार किये जाने पर मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी।

इति दिनांक ..... उज्जैन हस्ताक्षर शपथग्राहिता .....

सत्यापन

मैं शपथग्रहिता शपथ पूर्वक सत्य कथन करता हूँ कि उपरोक्त शपथ पत्र की पद संख्या 01 में वर्णित संपूर्ण कथन मेरे निजी ज्ञान के अधार पर सत्य एवं सही है। इससे कुछ भी छिपाया नहीं गया है।

इति दिनांक ..... उज्जैन हस्ताक्षर शपथग्राहिता .....

एमपीसीडीएफ या अन्य दुग्ध संघों से टर्मिनेट नहीं होने संबंधी  
शपथ पत्र का प्रारूप |  
(रु. 100 के नॉन ज्यूडिशियल स्टॉम्प पर)

|        |   |
|--------|---|
| नाम    | — |
| पिता   | — |
| आयु    | — |
| निवासी | — |

1— मैं शपथग्रहिता शपथ पूर्वक सत्य कथन करता हूँ कि मेरे द्वारा उज्जैन दुग्ध संघ द्वारा उज्जैन शहर में दुग्ध पदार्थ वितरक की नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किये गये है। मेरे द्वारा मार्ग क्रमांक ..... के लिए आवेदन प्रस्तुत किया गया है। तत्संबंध में मैं शपथ पूर्वक सत्य कथन करता / करती हूँ कि मैं एमपीसीडीएफ भोपाल अथवा सम्बद्ध किसी भी दुग्ध संघ द्वारा आवेदक को किसी भी प्रकार की अनियमितता के कारण टर्मिनेट अथवा ब्लेक लिस्ट नहीं किया गया हो।

इति दिनांक ..... उज्जैन हस्ताक्षर शपथग्राहिता .....

सत्यापन

मैं शपथग्रहिता शपथ पूर्वक सत्य कथन करता हूँ कि उपरोक्त शपथ पत्र की पद संख्या 01 में वर्णित संपूर्ण कथन मेरे निजी ज्ञान के अधार पर सत्य एवं सही है। इससे कुछ भी छिपाया नहीं गया है।

इति दिनांक ..... उज्जैन हस्ताक्षर शपथग्राहिता .....

इति दिनांक ..... उज्जैन हस्ताक्षर शपथग्राहिता .....